न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील सं. : 16 /508

जगदीश आत्मज कल्याण दास जाति बैरागी निवासी ग्राम बम्बोरी तहसील एवं जिला बून्दी ।
———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बून्दी ।
———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि नायब तहसीलदार, बून्दी जिला – बून्दी ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्ट को ग्राम बम्बोरी की आराजी खसरा नं. 469 की रकबा 05 बीघा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के दोष में 01 माह (30 दिवस) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 10.12.2015 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम

(अपी)लेट न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.08.2016 के द्वारा अपील अपीलांट खारिज (क)रने का आदेश पारित किया ।

3. उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील मीमो प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट ने तावान शुल्क राशि भी जमा करवा दी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा सिविल कारावास की सजा माफ की जावे ।

4. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । उक्त वादग्रस्त आराजी पूर्व खातेदार बल्लभदास चेला भजनदास बाबाजी जमाबन्दी संवत् 2012 से 2015 में खातेदार दर्ज था स्व0 बल्लभदास का शिष्य उत्तराधिकारी महावीरदास उर्फ हनुमानदास है जो अपीलान्ट का सगा भाई है । अपीलान्ट अपने भाई महावीरदास के साथ उक्त भूमि पर काबिज है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, बून्दी में महावीरदास बनाम् राजस्थान राज्य अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0ए0 विचाराधीन है जिसमें माननीय राजस्व मण्डल से निर्णित अपील संख्या 5305/2002 में निर्णय दिनांक 06.07.2002 के अनुसार प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है । राजस्व वाद के अंतिम निर्णय तक अपीलान्ट को कृषि भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही की जाना गैर कानूनी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा माफ की जावे ।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी जिरह में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।

7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता

। अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, बून्दी में महावीरदास बनाम राजस्थान राज्य अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0ए0 विचाराधीन है जिसमें माननीय राजस्व मण्डल से निर्णित अपील संख्या 5305/2002 में निर्णय दिनांक 06.07.2002 के अनुसार प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है । राजस्व वाद के अंतिम निर्णय तक अपीलान्ट को कृषि भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही की जाना गैर कानूनी है । चूँकि वर्तमान में उक्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । हम उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड दिया है एवं जुर्माना/ तावान राशि जमा करा दी है । इस आशय की पालना रिपोर्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित नायब तहसीलदार, बून्दी को भी प्रस्तुत करेगा । उक्त आदेश की पालना हेतु एक प्रति नायब तहसीलदार, बून्दी को भेजी जावे । यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी । पक्षकारान दिनांक 27.11.2017 को न्यायालय नायब तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी में उपस्थित हों ।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा ।

10. निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा